



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250001 (उत्तर प्रदेश)

वेबसाइट: www.mdameerut.org.in



श्री अखिलेश यादव जी
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी आवासीय योजना के
अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की
डॉ० राम मनोहर लोहिया नगर
के पॉकेट-के में

स्टिल्ट+5 मंजिले फ्लैट्स की योजना
स्वः वित्त पोषित योजनान्तर्गत
की पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण तिथि :

13-04-2015 से
12-05-2015 तक



मेरठ विकास प्राधिकरण



विशेष आकर्षण-

- ☑ मेरठ-बुलन्दशहर रोड़ के समीप डॉ0 राम मनोहर लोहिया आवासीय योजना स्थित ।
- ☑ स्टील्ट में प्रत्येक भवन के लिये कवर्ड कार पार्किंग ।
- ☑ योजना का लाभ दिनांक 13.04.2015 से 12.05.2015 तक ।
- ☑ आवंटन प्रक्रिया का अत्यन्त सरलीकरण ।

स्थल सुविधायें-

- ☑ सड़क, सीवर , ड्रेनेज, विद्युत एवं जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त ।
- ☑ पेड़-पौधों से सुसज्जित हरियाली की सुविधायुक्त ।
- ☑ सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण युक्त ।





मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ - 250003 (उ.प्र.)

उत्तर प्रदेश सरकार की समाजवादी योजना के अंतर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की
डॉ० राम मनोहर लोहिया के पॉकेट- के में स्व:वित्त पोषित योजनान्तर्गत
स्टिल्ट+5 मंजिले फ्लैट्स की योजना की पंजीकरण पुस्तिका

1. योजना का नाम – डॉ० मनोहर लोहिया नगर, पॉकेट-के

2. योजना का कोड – 08

3.00 ग्राह्यता (पात्रता)–

3.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यवस्क अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

3.30 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवस्यक बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिये।

3.40 जिन व्यक्तियों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा।

3.50 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

4.00 आवेदन कैसे करें–

4.10 आवेदन-पत्र केवल निर्धारित प्रारूप-पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व रुपये 10/- का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित व समाज के विकलांग) के आवेदकों को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक, अथवा पे-आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी। पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.org.in से प्राप्त की गयी विवरण पुस्तिका व पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को, पंजीकरण आवेदन पत्र उपयोग में लाने पर रुपये 500/- प्रति विवरण पुस्तिका व निर्धारित पंजीकरण धनराशि एच०डी०एफ०सी० बैंक की विज्ञापित शाखाओं में पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी।

4.20 आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।

4.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति-पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी। पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित हैं। आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिकायें रुपये 500/- के भुगतान पर एच०डी०एफ०सी० बैंक (1) 171/1, सूर्याश प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ मो० नं० 09358214343 (2) 381ए वैस्टर्न कचहरी रोड़, मेरठ (3) शील पैलेस दिल्ली रोड़, मेरठ (4) 6, रॉयल प्लाजा, रुड़की रोड़, पल्लवपुरम, मेरठ (5) जी० एफ० 'ओ' एण्ड 'एच' नई दिल्ली-11, डी०सी०एम० बिल्डिंग बारहा खम्बा रोड़ नई दिल्ली-110001 (6) डी-118,



मेरठ विकास प्राधिकरण



सेक्टर 26, नोएडा (7) आर0डी0सी0 सेक्टर, राजनगर, गाजियाबाद-201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्द शहर, हापुड़, मोदीनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, बागपत शामली व बड़ौत की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जायेगी जिनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक, मेरठ श्री भूमेश कुमार, मो0 नं0 09358214343 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि सहीत उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायेंगे।

5.00 आवंटन प्रक्रिया-

- 5.10 योजना के ड्रा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैनुअल प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर फ्लैट का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी फ्लैट विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी पद्धति से आरक्षण के आधार पर किया जायेगा।
- 5.20 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तर दायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।
- 5.30 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5.40 प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- 5.50 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5.60 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ड्रा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।
- 5.70 आवंटी को फ्लैट के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा फ्लैट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
- 5.80 प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्राधिकरण फ्लैट देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित फ्लैट नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

6.00 आरक्षण कोटा-

शासन द्वारा वर्तमान में आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र0सं. वर्ग	प्रतिशत	कोड
1. अनुसूचित जाति	21	02
2. अनुसूचित जन जाति	02	03
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
4. विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	05	08 07
5. सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो रक्षा कर्मी सरकारी कर्मी	05	05 06
6. उ0प्र0 आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी उ0प्र0 नगर निगम कर्मचारी उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	02	09 11 12 13
7. भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03	14
6.10 विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 3 प्रतिशत विकलांग श्रेणी के भवन/फ्लैट्स के लॉटरी ड्रा में सर्व प्रथम 01 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार दृष्टिबाधित, टपेनससल पंचपतमकद्ध आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। यदि विकलांग कोटे में एक मात्र एक ही भवन/फ्लैट आता है तो वह प्राथमिकता पर दृष्टिबाधित आवेदक को यथावश्यकता लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा विरिष्ट नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटा भरना आवश्यक हैं। सामान्य श्रेणी के आवेदक कोटा कोड 15 भरें।		
6.20 यदि आवेदक एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आता है तो कृपया वह स्वयम् निश्चित कर लें कि वे कौन सी एक आरक्षण श्रेणी का लाभ पाना चाहते हैं, उस आरक्षित श्रेणी का ही उल्लेख करें। यदि आरक्षित		



श्रेणी के आवेदक समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो आवंटन समान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

- 6.30 आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7 भुगतान प्रक्रिया—

फ्लैट्स की श्रेणीवार उपलब्धता, अनुमानित मूल्य, आवेदन राशि का विवरण पुस्तिका में संलग्न तालिका में दिया गया है। फ्लैट्स का आवंटन स्व: वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत लाटरी पद्धति से किया जायेगा। किशतों का विकल्प देने वाले आवेदकों को आवंटन के पश्चात् आवंटन धनराशि के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि, आवंटन पत्र जारी दिनांक से एक माह के अन्दर तथा शेष धनराशि विवरण तालिका के अनुसार जमा करनी होगी। किशतों का विकल्प देने वाले आवेदकों को स्व:वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बिना ब्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किशतों में भुगतान करना होगा।

- 7.10 भुगतान विधि तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार। निर्धारित तिथि तक वांछित आवंटन धनराशि अदा न करने की दशा में निर्धारित एक माह की अवधि के बाद विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर /2 या 2 से अधिक किशतें डिफाल्ट करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 7.20 फ्लैट्स का मूल्य अनुमानित है। फ्लैट पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन किया जायेगा। फ्लैट के वास्तविक मूल्यांकन के उपरान्त अन्तिम मूल्य से आवंटनी को अवगत कराया जायेगा।
- 7.30 लिफ्ट कर प्राविधान होने के कारण सभी तलों पर फ्लैट्स का मूल्य एक समान रखा गया है।
- 7.40 प्राप्त पंजीकरण आवेदन पत्रों के सापेक्ष विज्ञापित श्रेणीवार सभी तलों के फ्लैटों का लाटरी ड्रा किया जायेगा। लाटरी ड्रा के माध्यम से घोषित परिणाम के अन्तर्गत फ्लैट जिस तल का भी होगा, प्रत्येक फ्लैट व उसका तल व मूल्य दर्शाते हुए आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे जो तदनुसार देय होगी तथा आवेदकों को स्वीकार होगा।
- 7.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

8.00 पैनल ब्याज—

यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो बिलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। फ्लैट के किशतें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम 2 किशतों की अदायगी समय से अदा न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

9.00 कब्जा—

- 9.10 आवंटनी को फ्लैट के निर्माण एवं उसके सम्मुख समुचित विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार फ्लैट में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, फ्लैट्स मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी सीवर मद में देय धनराशि व देय दस्तावेजा शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर आवंटनी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख निबन्धित कराये जाने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। विलेख एवं निबन्धन का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।
- 9.20 आवंटनी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।
- 9.30 आवंटनी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर लेगा।
- 9.40 यदि आवंटनी द्वारा विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लेता है तो आवंटनी को 500 /— प्रति माह चौकीदारा शुल्क देना होगा।

10.00 निबन्धन प्रक्रिया—

आवंटी को फ्लैट्स के निर्माण एवं उसके सम्मुख समुचित विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार फ्लैट में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, फ्लैट मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी सीवर मद में देय धनराशि व देय दस्तावेजा शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर आवंटनी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख निबन्धित किया जायेगा। विलेख एवं निबन्धन का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।

11. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी—

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:—

- (अ) लाटरी आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- (ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 10 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा



मेरठ विकास प्राधिकरण



पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

- (स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- (द) आवंटन के पश्चात् यदि फ्लैट का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ फ्लैट के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो भी तिथि पहली होगी तक देय किशतों में से टूटती किशतों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

12. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया-

फ्लैट के निरस्तीकरण उपरान्त यदि आवेदक फ्लैट का आवंटन पुनर्जिवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अन्दर कराना चाहे तो फ्लैट के आवंटन की बहाली के समय योजना में लागू वर्तमान मूल्य पर फ्लैट बहाल किया जा सकेगा।

13.00 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना-

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ फ्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले झूठ से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14.00 अन्य सूचनायें/शर्तें-

- 14.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।
- 14.20 यदि प्राधिकरण की योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-28 ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में योजना के आवंटित फ्लैटस् में निहित भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटि द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में आवंटि से वसूल की जायेगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
- 14.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा

जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत-प्रतिशत जब्त करते हुए फ्लैट के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

- 14.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
- 14.50 तालिका में उल्लिखित फ्लैटस् के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- 14.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
- 14.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।
- 14.80 इस योजना में फ्लैटस् की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।
- 14.90 परिसर का रख-रखाव दो वर्ष तक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। दो वर्ष की अवधि के पश्चात् आवंटियों द्वारा नियमानुसार रेजीडेंस वेलफेयर सोसाईटी का गठन करने हुए उनके द्वारा रख-रखाव किया जायेगा। प्रत्येक आवंटि को वेलफेयर सोसाईटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 15.00 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटि को मान्य होगा।
- 15.10 सर्विस टैक्स अदा करने का दायित्व आवंटि का होगा।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ



पंजीकरण दिनांक 13-04-2015 से 12-05-2015 तक, डा० राम मनोहर लोहिया नगर, पॉकेट-के में स्थित 'समाजवादी' योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले 5 मंजिला फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु विवरण तालिका

कोड	श्रेणी	फ्लैट्स की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	पंजीकरण धनराशि 10% (रुपये में)	आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (रुपये में)*	शेष देय धनराशि की किश्तों का विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
739	2 बी०एच०के० टाईप बी	85	70	22.15	2.22	1.11	शेष धनराशि बिना ब्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किश्तों में।
738	2 बी०एच०के० टाईप ए	220	57	16.58	1.66	0.83	

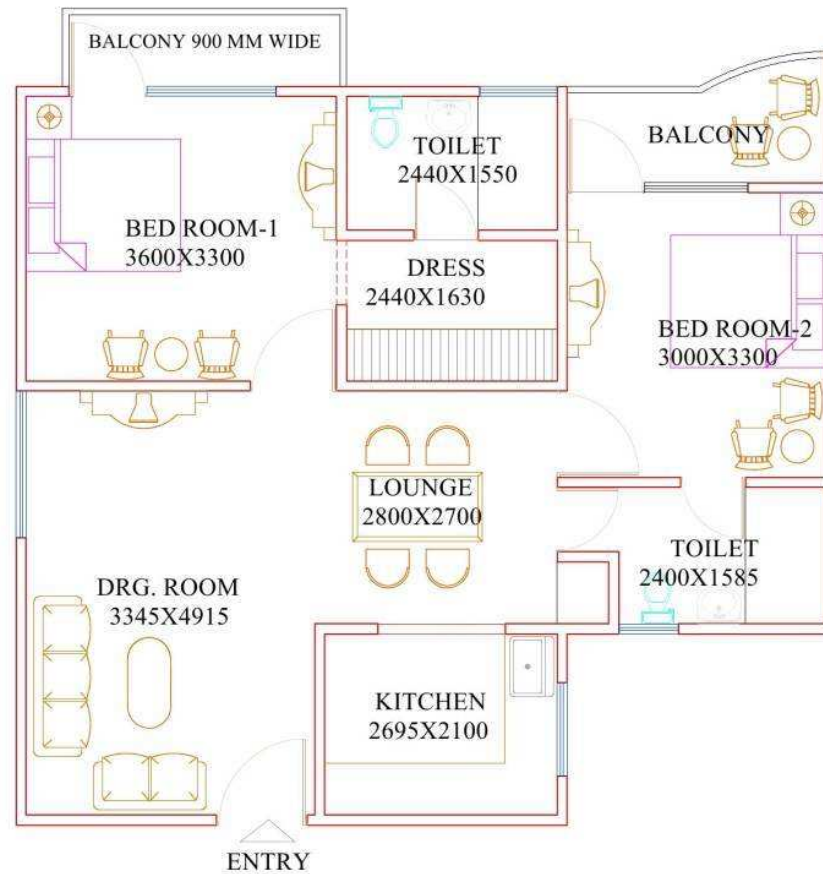
- आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर फ्लैट का मूल्य का 10 प्रतिशत आवंटन धनराशि जमा करनी होगी।
आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित व समाज के विकलांग) के आवेदकों को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, अथवा पे-ऑर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी। तथा शेष आवेदकों को 10% धनराशि जमा करनी होगी।
- उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ अनुमानित आधार पर हैं, जो परिवर्तनीय हैं। फ्लैट्स की संख्या एवं क्षेत्रफल व कीमत में परिवर्तन हो सकता है।
- फ्लैट पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन किया जायेगा। फ्लैट के वास्तविक मूल्यांकन के उपरान्त अन्तिम मूल्य से आवंटन को अवगत कराया जायेगा।
- तालिका में उल्लिखित पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
- देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
- यदि आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का क्षेत्रफल, उपरोक्त स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और कार्नर फ्लैट्स पर सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य/भूखण्ड के मूल्य का चार्ज 10 प्रतिशत पृथक से देय होंगे। किसी फ्लैट के साथ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रचलित नियमों के अनुसार मूल्य पृथक से देय होगा।
- तालिका में उल्लिखित फ्लैट के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।



मेरठ विकास प्राधिकरण



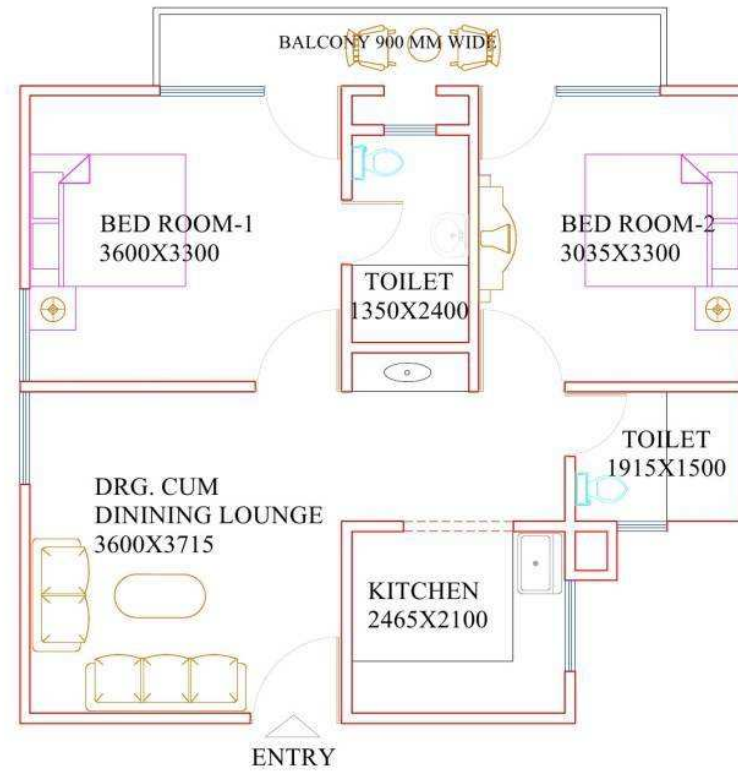
Type A



TYPE 'A' UNIT PLAN
AREA=55.00 SQ MT.
BUILT-UP AREA=70.00 SQ MT.



Type B



TYPE 'B' UNIT PLAN
AREA=45.00 SQ MT.
BUILT-UP AREA=57.00 SQ MT.



मेरठ विकास प्राधिकरण



(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रूपये 10 /- के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथ पत्र

समक्ष:- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

यह कि मेरा नाम पुत्र/पुत्री / है तथा का निवासी हूँ तथा मेरी आयु लगभग वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँ:-

- 1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।
- 2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् मुझ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3 यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक :

प्रमाणित स्थान-

हस्ताक्षर शपथकर्ता।



आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त

1. आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।
 2. आवेदक (पं) द्वारा आवेदन पत्र में कोड आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तराष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नं० को ही अभिलेखों में लिया जायेगा।
 3. इन आवेदन पत्रों को एक कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जायेगा। अतः इन फार्मों को केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
 4. अधूरे/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
 5. आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र संख्या, योजना कोड एवं सम्पत्ति कोड अवश्य लिखना चाहिए। जब तक आवेदक को सम्पत्ति कोड नहीं मिलता है फार्म की क्रम संख्या लिखी जा सकती है।
 - 6.00 डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना मेरठ विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।
 - 7.00 आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्योरा नीचे दिया गया है।
 - 7.01 **मद-2 : योजना का नाम :** कृपया योजना का नाम तथा कोड भरें।
 - 7.02 **सम्पत्ति श्रेणी :** कृपया सम्पत्ति श्रेणी तथा कोड भरें एवं क्षेत्रफल भरें।
 - 7.30 **सम्पत्ति विवरण :** कृपया सम्पत्ति विवरण तथा कोड भरें।
 - 7.40 **भुगतान योजना :** कृपया योजना तथा कोड भरें।
 - 7.50 **सेलुशन :** कृपया सेलुशन तथा कोड भरें।
 - 7.60 **नाम, पता एवं पिनकोड :** ये स्वयं सुस्पष्ट हैं।
 - 7.05 **आयु :** इस मद में आयु वर्षों में लिखें उदाहरणार्थ 32 वर्ष। (किसी एक वर्ष का कोई अंश न लिखा जाए)
 - 7.06 **लिंग :** इस मद में कोड तालिका से देखकर कोड भरें।
 - 7.07 **वैवाहिक स्थिति :** इस मद में नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो कोड तालिका से देखकर ध्यानपूर्वक भरें।
 - 7.08 **कोटा कोड :** जैसा कि अनुच्छेद 7.00 में विवरण दिया गया है जिसके अनुसार आवेदकों को आरक्षण सुविधा दी गई है। कृपया अपनी आरक्षित श्रेणी का कोटा कोड नम्बर लिखें। यदि आप एक से अधिक आरक्षित वर्ग में आते हैं तो केवल वहीं कोड लिखें जिसमें आप रहना चाहते हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है, कोटा के विरुद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण पत्र संलग्न करें। अन्यथा आपका आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी में समझा जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कोड के स्थान पर 15 कोड भरना चाहिए।
ख) आरक्षण श्रेणी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 - 7.09 **व्यवसाय कोड :** यह कोड तालिका से भरें।
 - 7.10 **भुगतान योजना कोड :** भुगतान योजना कोड में किस्तों में भुगतान हेतु कोड भरें।
 - 7.11 **आय कोड :** आवेदन हेतु कोई आय सीमा नहीं है।
 - 8.00 **आवेदक के हस्ताक्षर :** ये स्वयं सुस्पष्ट हैं। बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
 - 9.00 योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पता परिवर्तन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- नोट : सभी प्रकार के कोड, कोड तालिका से ध्यानपूर्वक देखकर भरें। कृपया आवेदन फार्म में सम्पत्ति कोड स्पष्ट अंकों में भरें।

कोड तालिका

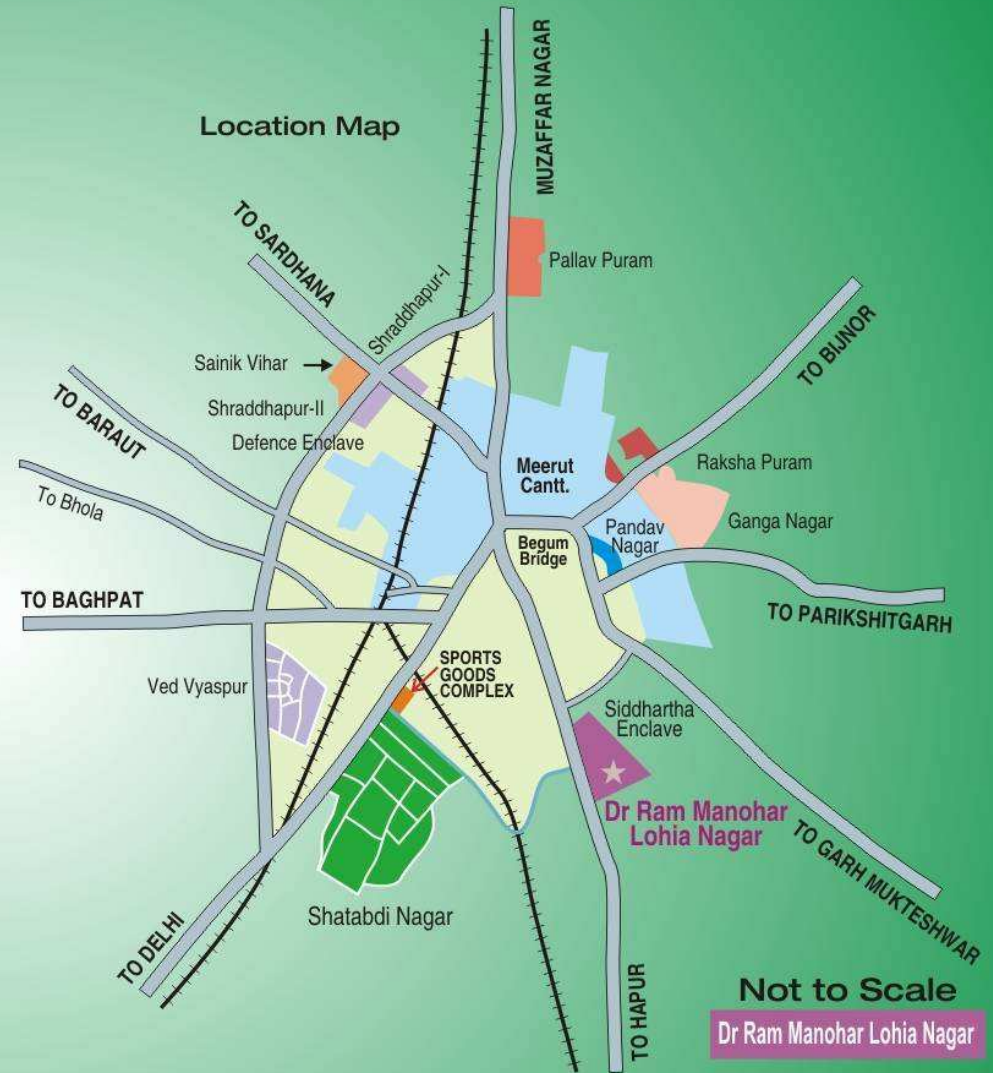
योजना कोड 8 समाजवादी योजना डा० राममनोहर लोहिया नगर पॉकेट - के	सम्पत्ति विवरण 12 फ्लैट	भुगतान कोड 01 किस्तों में 02 नगद
सम्पत्ति कोड 739-2 बी०एच०के० टाईप बी 738-2 बी०एच०के० टाईप ए		सेलुशन कोड 01 श्री 02 श्रीमती 03 कुमारी 04 संयुक्त
व्यवसाय कोड 01 वकील 02 व्यवसायिक 03 डॉक्टर 04 इंजीनियर 05 किसान 06 सरकारी कर्मचारी	लिंग कोड 07 गृहणी 08 अर्ध सरकारी कर्मचारी 09 विद्यार्थी 10 अन्य	पिता/पति कोड 01 पितृ 02 पति
		वैवाहिक स्तर 01 वैवाहिक 02 अविवाहित 03 विधवा 04 अन्य

विवरण पुस्तिका का मूल्य रु. 500/- मात्र

आपकी लोन की तलाश यहां खत्म होती है!



अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करें!



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250001 (उत्तर प्रदेश)
वेबसाइट : www.mdameerut.org.in